भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 356

30 नवंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत बीमा दावों का भुगतान

356. श्री रमेश चन्द्र माझी:

प्रो. अच्युतानंद सामंत:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल के नुकसान/विफलता के बाद किसानों को बीमा दावों का भुगतान समय पर किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ओडिशा सहित कई राज्यों में फसल खराब होने पर 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में बीमा दावों का भुगतान अभी भी लंबित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन सभी बकाया दावों के भुगतान के लिए कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया दावों का पूरा भुगतान कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि किसानों को विशेष रूप से सूखे या कम वर्षा के मामलों में फसल के नुकसान के दौरान उचित मुआवजा दिया जा रहा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत स्वीकार्य दावों का भुगतान आमतौर पर संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोग (सीसीई)/कटाई अवधि के पूरा होने के दो महीने के भीतर और बाधित बुवाई के जोखिमों/खतरों, मध्य-मौसम प्रतिकूलता और फसल कटाई के बाद नुकसान को लागू करने के लिए अधिसूचना के एक महीने के भीतर किया जाता है बशर्ते समय-सीमा के भीतर संबंधित सरकार से प्रीमियम राजसहायता के कुल हिस्से की प्राप्ति के अध्यधीन होता है। तथापि, ओडिशा सहित कुछ राज्यों में उपज डेटा के हस्तांतरण में देरी; प्रीमियम सब्सिडी में उनके हिस्से को देर से जारी करना, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, पात्र किसानों के बैंक खाते में दावों के

हस्तांतरण के लिए कुछ किसानों के खाते का विवरण प्राप्त न होना और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) संबंधित मुद्दों, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर व्यक्तिगत किसान डेटा की गलत/अपूर्ण प्रविष्टि, संबंधित बीमा कंपनी को किसानों के हिस्से के प्रीमियम का देरी से भुगतान/भुगतान न करना आदि के कारण कुछ दावों के निपटान में देरी/विलम्ब हुआ है।

यह विभाग पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की निगरानी नियमित रूप से कर रहा है जिसमें हितधारकों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावों का समय पर निपटान करना, बीमा कंपनियों/राज्यों के साथ परस्पर बैठक करना आदि शामिल है। राज्य सरकारों के लिए भी योजना के संशोधित/ पुर्नोत्थान किए गए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के तहत बीमा कंपनियों द्वारा दावों का देरी से निपटान करने तथा राज्य सरकारों द्वारा देरी से निधियां जारी करने के लिए दण्ड का प्रावधान भी किया गया है। बीमा कंपनियों को राज्य सरकार से अंतिम उपज डेटा प्राप्त होने और फसल क्षति सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के बाद की अवधि के लिए किसानों को प्रति वर्ष 12% की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, यह विभाग दावों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पात्र किसानों को समय पर तथा पर्याप्त लाभ प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों के परामर्श से इन योजनाओं की नियमित समीक्षा कर रहा है।

वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए लंबित दावों का ओडिशा सहित राज्य-वार विवरण **संलग्न** है।

अनुबंध

दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए पीएमएफबीवाई के तहत लंबित दावों की राज्य-वार स्थिति

(रु. करोड़ में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	लंबित रहने का कारण
2018-19	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.01	0.08	भुगतान विफलता
	आंध्र प्रदेश	1,890.05	1,885.76	4.29	भुगतान विफलता
	गुजरात	2,778.08	2,777.89	0.18	लंबित राज्य सब्सिडी
	हरियाणा	948.01	947.75	0.27	भुगतान विफलता
	झारखंड	684.94	50.98	633.95	लंबित राज्य सब्सिडी
	कर्नाटक	2,948.56	2,947.99	0.57	भुगतान विफलता
	मध्य प्रदेश	3,777.31	3,777.14	0.17	भुगतान विफलता
	महाराष्ट्र	6,149.46	6,146.19	3.27	भुगतान विफलता
	तेलंगाना	587.35	148.92	438.43	लंबित राज्य सब्सिडी
	पश्चिम बंगाल	535.52	529.85	5.67	भुगतान विफलता; लंबित राज्य सब्सिडी
2018-19 कुल		**29,341.04**	**28,254.15**	**1,086.89**	
2019-20	आंध्र प्रदेश	1,259.01	1,254.03	4.98	भुगतान विफलता
	असम	21.27	-	21.27	लंबित राज्य सब्सिडी
	छत्तीसगढ़	1,314.60	1,296.59	18.02	भुगतान विफलता
	गुजरात	369.40	111.67	257.73	लंबित राज्य सब्सिडी
	हरियाणा	933.08	928.36	4.72	भुगतान विफलता
	हिमाचल प्रदेश	67.54	66.61	0.93	भुगतान विफलता
	झारखण्ड	25.46	-	25.46	लंबित राज्य सब्सिडी
	कर्नाटक	1,572.28	1,349.26	223.02	भुगतान विफलता; राज्य सरकार से लंबित स्पष्टीकरण
	मध्य प्रदेश	5,991.92	5,947.35	44.57	प्रक्रिया के तहत
	महाराष्ट्र	6,757.36	6,748.51	8.85	भुगतान विफलता
	ओडिशा	1,170.11	1,152.81	17.30	राज्य सरकार से लंबित स्पष्टीकरण
	पुदुचेरी	7.16	6.23	0.93	भुगतान विफलता
	राजस्थान	4,921.91	4,920.18	1.73	भुगतान विफलता
	तमिलनाडु	1,168.60	1,136.46	32.14	लंबित राज्य सब्सिडी
	तेलंगाना	512.78	-	512.78	लंबित राज्य सब्सिडी
	उत्तर प्रदेश	1,110.56	1,086.56	24.01	भुगतान विफलता; राज्य सरकार से

					लंबित स्पष्टीकरण
2019-20 कुल		**27,394.34**	**26,195.86**	**1,198.48**	
2020-21 (अनंतिम)	छत्तीसगढ	882.09	853.95	28.14	लंबित राज्य सब्सिडी ; भुगतान विफलता
	हरियाणा	1,126.01	1,118.64	7.36	लंबित राज्य सब्सिडी ; भुगतान विफलता
	हिमाचल प्रदेश	36.22	19.16	17.06	लंबित राज्य सब्सिडी ; भुगतान विफलता
	कर्नाटक	539.67	485.80	53.87	प्रक्रिया के तहत
	केरल	103.03	70.02	33.01	लंबित राज्य सब्सिडी
	महाराष्ट्र	1,311.35	940.62	370.73	लंबित राज्य सब्सिडी
	ओडिशा	550.24	546.00	4.25	प्रक्रिया के तहत
	पुदुचेरी	16.25	-	16.25	लंबित राज्य सब्सिडी
	राजस्थान	3,610.07	3,449.35	160.73	लंबित राज्य सब्सिडी ; भुगतान विफलता
	तमिलनाडु	952.44	565.69	386.75	प्रक्रिया के तहत; भुगतान विफलता
	उत्तर प्रदेश	491.12	486.75	4.36	लंबित राज्य सब्सिडी
	उत्तराखंड	104.55	99.72	4.84	भुगतान विफलता
2020-21 कुल (अनंतिम))		**9,725.24**	**8,637.89**	**1,087.35**	
सकल योग		**66,460.62**	**63,087.90**	**3,372.72**	

**** ऐसे मामले जहां निपटान किए गए दावों को दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन वर्ष के योग में शामिल किया गया है***

नोट: सभी स्वीकार्य दावों को सीधे पात्र बीमित किसानों के बैंक खाते या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जा रहा है। तथापि, दावा राशि के हस्तांतरण में, बैंक खातों का मिलान न होना, आईएफएससी कोड, खाता संख्या, निष्क्रिय बैंक खाता और नामांकन के बिना पात्र बीमित किसान की मृत्यु आदि जैसे धन हस्तांतरण के लिए आवश्यक बैंकिंग विवरण में त्रुटि के दावा राशि के हस्तांतरण में भुगतान विफलता होती है।

*****